

कार्यवृत्त

[संक्षिप्त कार्य-विवरण]

बुधवार, 18 माघ, शक संवत् 1945
(07 फरवरी, 2024 ई0)

खण्ड-525
अंक-05

विधान सभा का कार्य सभा-मण्डप, लखनऊ में दिन के 11:00 बजे श्री अध्यक्ष की अध्यक्षता में आरम्भ हुआ। प्रश्न पूछे गये एवं उनके उत्तर दिये गये।

आज दिनांक 07 फरवरी, 2024 को नियम-301 के अन्तर्गत 70 सूचनायें प्राप्त हुईं, तदुपरान्त श्री अध्यक्ष ने कहा कि जो लोग अनुपस्थित हैं, उनकी सूचना नहीं ली जा सकती तथा जिनकी सूचना पहले ली जा चुकी है, उनकी सूचनाएं भी नहीं ली जायेंगी, तदनुसार निम्नलिखित मा0 सदस्यों की सूचनाएं स्वीकार की गयीं :-

क्र0-सं0	नाम	विषय
1	श्री राजेन्द्र कुमार मौर्य	जनपद प्रतापगढ़ में कतिपय जर्जर सड़कों की मरम्मत करने के सम्बन्ध में।
2	श्री संग्राम सिंह	जनपद बलिया के फेफना के आईटी बंधे पर पुल निर्माण के सम्बन्ध में।
3	श्री गौरी शंकर वर्मा (कोरी)	जनपद जालौन में कतिपय सड़क के निर्माण के सम्बन्ध में।
4	श्री विजयपाल (आढ़ती)	जनपद हापुड़ के विधान सभा क्षेत्र सदर में कतिपय मार्ग के चौड़ीकरण के सम्बन्ध में।
5	श्री गणेश चन्द्र	जनपद सन्तकबीरनगर के घनघटा में निरीक्षण भवन के निर्माण के सम्बन्ध में।
6	श्री राम फेरन पाण्डेय	जनपद श्रावस्ती के नगर पंचायत इकौना में रोडवेज बस स्टैण्ड बनवाए जाने के सम्बन्ध में।
7	श्री राकेश प्रताप सिंह	जनपद लखनऊ के देवपुरी कालोनी में घर के ऊपर से निकल रहे विद्युत तारों को अन्य स्थान पर शिफ्ट कराए जाने के सम्बन्ध में।

क्र०-सं०	नाम	विषय
8	श्री लोकेन्द्र प्रताप सिंह	जनपद लखीमपुर खीरी के विधान सभा क्षेत्र मोहम्मदी के ग्राम दिलवारपुर में अग्निशमन केन्द्र का निर्माण कराए जाने के सम्बन्ध में।
9	श्री मनीष रावत	जनपद सीतापुर के विकास खण्ड सिधौली के अन्तर्गत ग्राम पंचायत वर्षापुर में कतिपय मार्ग की मरम्मत के सम्बन्ध में।
10	श्री चन्द्र प्रकाश लोधी (एडवोकेट)	जनपद फतेहपुर में राजकीय इंजीनियरिंग कॉलेज की स्थापना किए जाने के सम्बन्ध में।
11	श्री शलभ मणि त्रिपाठी	जनपद देवरिया के सदर विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत कतिपय क्षेत्रों को मिलाकर देवरिया विकास प्राधिकरण बनाए जाने के सम्बन्ध में।
12	श्री राजेश्वर सिंह	जनपद लखनऊ के विधान सभा क्षेत्र सरोजनीनगर के अन्तर्गत हिंदनगर मोहल्ले में सीवर लाइन बनवाए जाने के सम्बन्ध में।
13	श्रीमती सरोज कुरील	जनपद कानपुर के घाटमपुर विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत कटरी दुबई सम्पर्क मार्ग बनवाए जाने के सम्बन्ध में।
14	डॉ० सुरभी	जनपद फर्रुखाबाद के अन्तर्गत कायमगंज विधान सभा में नूरपुर गढ़िया मार्ग का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में।
15	श्री हाकिम लाल बिन्द	जनपद लखनऊ के अन्तर्गत जगत खेड़ा काली पश्चिम में विद्युत कटौती के दोषियों पर कार्यवाही करने के सम्बन्ध में।
16	श्री अनिल कुमार	जनपद मुजफ्फरनगर के विधान सभा क्षेत्र पुरकाजी में कतिपय सम्पर्क मार्ग के निर्माण के सम्बन्ध में।
17	श्री प्रदीप कुमार सिंह	जनपद हाथरस के विकास खण्ड सादाबाद में कतिपय मार्ग की मरम्मत के सम्बन्ध में।
18	श्री जवाहर लाल राजपूत	जनपद झांसी में बेतवा नदी पर डिकौली/शहपुर लिफ्ट कैनाल का निर्माण कराए जाने के सम्बन्ध में।
19	श्री दुर्गा प्रसाद यादव	जनपद आजमगढ़ के जाफरपुर में कतिपय स्थान पर सब स्टेशन बनवाए जाने के सम्बन्ध में।

क्र०-सं०	नाम	विषय
20	डॉ० आर० के० वर्मा	जनपद प्रतापगढ़ के रानीगंज में कतिपय सम्पर्क मार्ग बनवाए जाने के सम्बन्ध में।
21	श्री आशू मालिक	जनपद सहारनपुर देहात के अन्तर्गत महत्वपूर्ण सड़क का निर्माण कराए जाने के सम्बन्ध में।
22	श्री अतुल प्रधान	मेरठ के सरधना नगर के लिए बस परिवहन सेवा के सम्बन्ध में।
23	श्री राम सिंह पटेल	जनपद प्रतापगढ़ के विधान सभा क्षेत्र में कतिपय रोड के निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में।
24	श्री अनिल प्रधान	जनपद चित्रकूट के तहसील राजापुर में डिफेन्स कॉरीडोर हेतु भूमि का मूल्य बढ़ाने जाने के सम्बन्ध में।
25	श्री जाहीद	जनपद भदोही के अन्तर्गत निर्मित अस्पताल को संचालित कराए जाने हेतु।
26	श्री राम अचल राजभर	जनपद अम्बेडकरनगर के विधान सभा क्षेत्र अकबरपुर के अन्तर्गत मार्ग के निर्माण के सम्बन्ध में।
27	श्री राजेन्द्र कुमार	जनपद मऊ के विधान सभा क्षेत्र मुहम्मदाबाद गोहना के अन्तर्गत सरसेना मार्ग के निर्माण कराए जाने के सम्बन्ध में।
28	श्री राममूर्ति वर्मा	जनपद गोरखपुर के जनता इण्टर कालेज चरगावां में अवैध विनियमितीकरण को निरस्त कराए जाने के सम्बन्ध में।
29	श्री हृदय नारायण सिंह पटेल	ग्राम ससना बहादुरपुर जनपद बलिया में खेती न करने देने के सम्बन्ध में।
30	श्री कमाल अख्तर	जनपद मुरादाबाद में हुए सीवरेज योजना के अन्तर्गत हुए मानक विरुद्ध कार्य की जांच कराए जाने के सम्बन्ध में।
31	डॉ० आर० के० पटेल	जनपद जौनपुर के विधान सभा क्षेत्र मड़ियाहूँ के अन्तर्गत नगर पंचायत रामपुर में एक 132 के०वी० का विद्युत उपकेन्द्र बनाए जाने के सम्बन्ध में।
32	श्री हरिओम वर्मा	जनपद कासगंज के आमाँपुर में कतिपय मार्ग के चौड़ीकरण के सम्बन्ध में।

<u>क्र०-सं०</u>	<u>नाम</u>	<u>विषय</u>
33	श्री देवेन्द्र सिंह	जनपद कासगंज के सदर में कतिपय मार्गों की मरम्मत के सम्बन्ध में।
34	श्री लक्ष्मीराज सिंह	जनपद बुलन्दशहर के सिकन्दराबाद में कतिपय मार्ग को फोर लेन कराए जाने के सम्बन्ध में।
35	श्री सत्यपाल सिंह राठौर	जनपद एटा के अलीगंज में कतिपय बाईपास के निर्माण के सम्बन्ध में।
36	श्री रामपाल वर्मा	जनपद बालामऊ के विकास खण्ड कोथावाँ में कतिपय पौराणिक स्थल के सौन्दर्यीकरण के सम्बन्ध में।
37	श्री प्रकाश द्विवेदी	जनपद बुन्देलखंड में चीनी मिल बनवाए जाने के सम्बन्ध में।
38	श्री नन्द किशोर	जनपद गाजियाबाद के अन्तर्गत मीरपुर हिन्दू गाँव में मेडिकल कॉलेज बनवाए जाने के सम्बन्ध में।
39	श्री प्रदीप शुक्ला	जनपद गोरखपुर के सहजनवाँ विधान सभा क्षेत्र में पिच मार्ग का निर्माण कराए जाने के सम्बन्ध में।
40	श्री बाबू राम	जनपद पीलीभीत के पूरनपुर में पुल के निर्माण के सम्बन्ध में।
41	श्री प्रभात कुमार वर्मा	जनपद गोण्डा में राजकीय महाविद्यालय बनवाए जाने के सम्बन्ध में।
42	श्री संजय कुमार शर्मा	जनपद बुलन्दशहर के जहांगीराबाद में कतिपय पुलिया का पुनर्निर्माण करने के सम्बन्ध में।
43	श्री पंचानन्द पाठक (पी० एन० पाठक)	जनपद कुशीनगर के कुबेरस्थान को नगर पंचायत का दर्जा दिए जाने के सम्बन्ध में।
44	श्री रवेन्द्र पाल सिंह	जनपद अलीगढ़ के अन्तर्गत विकास खण्ड अकराबाद के ग्राम विजयगढ़ में राजकीय कन्या महाविद्यालय बनवाने के सम्बन्ध में।
45	श्री बेचई सरोज	जनपद आजमगढ़ के विधान सभा क्षेत्र लालगंज में स्थित महिला अस्पताल चालू कराए जाने के सम्बन्ध में।
46	श्री विनोद चतुर्वेदी	जनपद जालौन के काल्पी विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत ग्राम छानी अहीर में नाले का निर्माण कराए जाने के सम्बन्ध में।

<u>क्र०-सं०</u>	<u>नाम</u>	<u>विषय</u>
47	डॉ० रागिनी	ग्राम सभा अदारी में यादव बस्ती के सम्पर्क मार्ग के निर्माण के सम्बन्ध में।
48	डॉ० नीरज बोरा	क्रिश्चन कालेज सोसायटी लखनऊ में आवश्यक कार्य हेतु प्रशासक तथा अन्य की नियुक्ति किए जाने के सम्बन्ध में।
49	श्री अजय सिंह	जनपद गोण्डा के करनैलगंज में कतिपय मार्ग पर सेतु के निर्माण के सम्बन्ध में।
50	डॉ० विनोद कुमार बिन्द	जनपद सुल्तानपुर के तहसील लम्भुआ के ब्लॉक प्रतापपुर में सदारपुर मार्ग को लोक निर्माण विभाग में किए जाने के सम्बन्ध में।
51	श्री मनोज कुमार पारस	जनपद बिजनौर के नगीना विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत बान नदी पर पुल बनाए जाने के सम्बन्ध में।

इसी मध्य श्री अध्यक्ष ने नियम-56 की सूचनाओं की जानकारी देते हुये कहा कि दो सूचनायें ग्राह्यता के लिये सुनी जायेंगी, शेष सूचना पर शासन का ध्यान आकृष्ट किया जायेगा।

तदुपरान्त विधान सभा के स्थायी समितियों के गठन के सम्बन्ध में औचित्य के प्रश्न पर श्री लालजी वर्मा ने उ०प्र० विधान सभा के अध्यक्ष के निदेश सं०-96 ज का उल्लेख करते हुए कहा कि दिनांक 26 मई, 2022 के उपवेशन में मा० अध्यक्ष को प्राधिकृत भी किया गया था। यह समिति सरकार के मंत्रियों को परामर्श देती है। अतएव यह सरकार के लिए भी उपयोगी है। विगत 02 वर्षों में स्थायी समितियों का गठन नहीं हो पाया है। श्री मनोज कुमार पाण्डेय ने भी इस पर बल दिया।

इस पर संसदीय कार्य मंत्री ने शासन का पक्ष रखते हुए कहा कि स्थायी समितियों का गठन यथाशीघ्र कर लिया जायेगा।

तदुपरान्त सूचना अग्राह्य हुई।

आज नियम-56 के अन्तर्गत कुल 12 सूचनाएँ प्राप्त हुईं, जो कार्य-स्थगन के रूप में अग्राह्य हुईं।

प्रदेश में 69000 शिक्षक भर्ती के अभ्यर्थियों द्वारा दिये जा रहे धरने से उत्पन्न स्थिति विषयक कार्य-स्थगन प्रस्ताव की सूचना की ग्राह्यता पर डा० संग्राम यादव ने विचार व्यक्त करते हुए कहा कि राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग द्वारा भी अपनी रिपोर्ट में उल्लेख किया गया है कि उक्त भर्ती में आरक्षण सम्बन्धी विरसंगति हुई है। स्वयं मा० मुख्य मंत्री ने भी इसे स्वीकार किया। किन्तु हाईकोर्ट की डबल बेंच में प्रभावी पैरवी न होने के कारण पिछड़े वर्ग, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों की भर्ती नहीं हो पा रही है। उन्होंने इस विषय को

अत्यन्त लोक महत्व का बताते हुए सदन की शेष कार्यवाही रोककर इस पर चर्चा कराने की मांग की। डा0 आर0 के0 वर्मा ने भी इस पर बल दिया।

इस पर शासन का पक्ष रखते हुए संसदीय कार्य मंत्री (श्री सुरेश कुमार खन्ना) ने कहा कि सभी 69000 शिक्षकों को 03 वर्ष पहले ही नौकरी दे दी गयी है, जिसमें पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के 48699 अभ्यर्थियों अर्थात् 70.58 प्रतिशत को नौकरी दी गयी है। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग की रिपोर्ट पर पुनर्विचार के लिए याचिका दायर की गयी है। उक्त भर्ती में चयन से वंचित अभ्यर्थियों द्वारा मा0 उच्च न्यायालय में वाद दाखिल किया है। मा0 उच्च न्यायालय का जो निर्णय होगा, उसका पालन किया जायेगा।

तदुपरान्त सूचना अग्राह्य हुई।

प्रदेश में विद्युत विभाग द्वारा बिलिंग हेतु प्राइवेट कम्पनियों को ठेका दिये जाने से उत्पन्न स्थिति विषयक अपनी कार्य-स्थगन प्रस्ताव की सूचना की ग्राह्यता पर श्री मनोज कुमार पाण्डेय ने विचार व्यक्त करते हुए कहा कि प्रदेश में विद्युत विभाग में बिलिंग सेक्शन के प्राइवेट कर्मचारियों द्वारा उपभोक्ताओं को गलत विद्युत बिल प्रेषित किये जा रहे हैं। फिर उन्हीं बिलों को संशोधित करने के एवज में अवैध वसूली की जा रही है। जिससे उपभोक्ताओं में रोष है। उन्होंने विषय को अत्यन्त लोक महत्व का बताते हुए सदन की शेष कार्यवाही रोककर इस पर चर्चा कराने की मांग की। श्री पंकज कुमार मलिक ने भी इस पर बल दिया।

इसी मध्य 12 बजकर 58 मिनट पर अधिष्ठाता डा0 मंजू शिवाच पीठासीन हुईं।

इस पर शासन का पक्ष रखते हुए ऊर्जा मंत्री (श्री ए0 के0 शर्मा) ने कहा कि वर्तमान में गलत विद्युत बिल प्रेषित किये जाने की समस्या बहुत कम है। यदि किसी गलत बिल की शिकायत विद्युत विभाग को प्राप्त होती है, तो विभाग द्वारा सख्त कार्रवाई की जाएगी।

तदुपरान्त सूचना अग्राह्य हुई।

जनपद अमेठी के संजय गांधी अस्पताल मुंशीगंज की सभी स्वास्थ्य सेवाएँ निरस्त किये जाने से उत्पन्न स्थिति विषयक श्री राकेश प्रताप सिंह की कार्य-स्थगन प्रस्ताव की सूचना पर श्री अध्यक्ष ने शासन का ध्यान आकृष्ट किया।

जनपद चन्दौली के सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, भोगवार मुगलसराय में चिकित्सकों की लापरवाही से उपचार के दौरान श्रीमती आरती की हुई मृत्यु की जाँच कराये जाने विषयक श्री प्रभु नारायण सिंह यादव की कार्य-स्थगन प्रस्ताव की सूचना पर श्री अध्यक्ष ने शासन का ध्यान आकृष्ट किया।

सभापति, सरकारी आश्वासन सम्बन्धी समिति में उत्तर प्रदेश अट्टारहवीं विधान सभा की सरकारी आश्वासन सम्बन्धी समिति के वर्ष (2022 2023) का ऊर्जा विभाग, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, माध्यमिक शिक्षा विभाग, नगर विकास विभाग, गृह विभाग के वर्ष 1998 से

2023 तक के उन आश्वासनों से सम्बन्धित है, जिन्हें समिति द्वारा पूर्ण मान लिया गया है, का 152वां प्रतिवेदन प्रस्तुत किया।

इसी मध्य अपराह्न 01 बजकर 14 मिनट पर श्री अध्यक्ष पुनः पीठासीन हुए।

विधान सभा क्षेत्र मुबारकपुर में दिनांक 28-01-2024 को ग्राम-बहज, थाना-जहानागंज के अन्तर्गत हुई घटना की जाँच कराये जाने विषयक श्री अखिलेश व अन्य की कार्य-स्थगन प्रस्ताव की सूचना पर श्री अध्यक्ष ने शासन का ध्यान आकृष्ट किया।

सभापति, उत्तर प्रदेश विधान मण्डल की सार्वजनिक उपक्रम एवं निगम संयुक्त समिति ने उत्तर प्रदेश विधान मण्डल की सार्वजनिक उपक्रम एवं निगम संयुक्त समिति (2022-2023) का ग्यारहवां प्रतिवेदन, जो भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की रिपोर्ट वर्ष (1998-1999) (वाणि0) में उल्लिखित उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लिमिटेड से सम्बन्धित प्रस्तारों पर आधारित है, प्रस्तुत किया।

सभापति, उत्तर प्रदेश विधान मण्डल की सार्वजनिक उपक्रम एवं निगम संयुक्त समिति ने उत्तर प्रदेश विधान मण्डल की सार्वजनिक उपक्रम एवं निगम संयुक्त समिति (2022-2023) का बारहवां प्रतिवेदन, जो भारत के नियन्त्रक-महालेखापरीक्षक की रिपोर्ट वर्ष (2009-2010), (2010-2011), (2011-2012) व (2012-2013) (वाणि0) में उल्लिखित उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लिमिटेड से सम्बन्धित प्रस्तारों पर आधारित है, प्रस्तुत किया।

सभापति, उत्तर प्रदेश विधान मण्डल की सार्वजनिक उपक्रम एवं निगम संयुक्त समिति ने उत्तर प्रदेश विधान मण्डल की सार्वजनिक उपक्रम एवं निगम संयुक्त समिति (2022-2023) का तेरहवां प्रतिवेदन, जो भारत के नियन्त्रक-महालेखापरीक्षक की रिपोर्ट वर्ष (2004-2005) व (2015-2016) (वाणि0) में उल्लिखित उ0प्र0 दक्षिणांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड से सम्बन्धित प्रस्तारों पर आधारित है, प्रस्तुत किया।

सभापति, उत्तर प्रदेश विधान मण्डल की सार्वजनिक उपक्रम एवं निगम संयुक्त समिति ने उत्तर प्रदेश विधान मण्डल की सार्वजनिक उपक्रम एवं निगम संयुक्त समिति (2022-2023) का चौदहवां प्रतिवेदन, जो भारत के नियन्त्रक-महालेखापरीक्षक की रिपोर्ट वर्ष (2005-2006), (2006-2007) व (2007-2008) (वाणि0) में उल्लिखित उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद् से सम्बन्धित प्रस्तारों पर आधारित है, प्रस्तुत किया।

सभापति, उत्तर प्रदेश विधान मण्डल की सार्वजनिक उपक्रम एवं निगम संयुक्त समिति ने उत्तर प्रदेश विधान मण्डल की सार्वजनिक उपक्रम एवं निगम संयुक्त समिति (2022-2023) का पन्द्रहवां प्रतिवेदन, जो भारत के नियन्त्रक-महालेखापरीक्षक की रिपोर्ट वर्ष (1993-1994), (1994-1995), (1995-1996), (1996-1997), (1997-1998) व (1998-1999) (वाणि0) में उल्लिखित उ0प्र0 राज्य विद्युत परिषद् (अब उ0प्र0 पावर ट्रांसमिशन कारपोरेशन लि0) से सम्बन्धित प्रस्तारों पर आधारित है, प्रस्तुत किया।

सभापति, प्रदेश के स्थानीय निकायों के लेखा परीक्षा प्रतिवेदनों की जाँच सम्बन्धी समिति ने प्रदेश के स्थानीय निकायों के लेखा परीक्षा प्रतिवेदनों की जाँच सम्बन्धी समिति (2022-2023) का पंचम प्रतिवेदन, जो स्थानीय निधि लेखा परीक्षा विभाग के प्रतिवेदन वर्ष (2017-2018) में उल्लिखित नगर विकास विभाग के अधीन नगर पालिका परिषद् मोदीनगर-गाजियाबाद, मुरादनगर-गाजियाबाद, नगर पालिका परिषद् हल्दौर, बिजनौर तथा नगर पालिका परिषद् शेरकोट, बिजनौर से सम्बन्धित आडिट आपत्तियों पर आधारित है, प्रस्तुत किया।

सभापति, प्रदेश के स्थानीय निकायों के लेखा परीक्षा प्रतिवेदनों की जाँच सम्बन्धी समिति ने प्रदेश के स्थानीय निकायों के लेखा परीक्षा प्रतिवेदनों की जाँच सम्बन्धी समिति (2022-2023) का षष्ठम् प्रतिवेदन जो स्थानीय निधि लेखा परीक्षा विभाग के प्रतिवेदन वर्ष (2015-2016) एवं (2017-2018) में उल्लिखित उच्च शिक्षा विभाग के अधीन बुन्देलखण्ड विश्वविद्यालय, झांसी तथा धर्म समाज महाविद्यालय, अलीगढ़ से सम्बन्धित आडिट आपत्तियों पर आधारित है, प्रस्तुत किया।

सभापति, प्रदेश के स्थानीय निकायों के लेखा परीक्षा प्रतिवेदनों की जाँच सम्बन्धी समिति ने प्रदेश के स्थानीय निकायों के लेखा परीक्षा प्रतिवेदनों की जाँच सम्बन्धी समिति (2022-2023) का सप्तम् प्रतिवेदन, जो स्थानीय निधि लेखा परीक्षा विभाग के प्रतिवेदन वर्ष (2017-2018) में उल्लिखित कृषि विपणन एवं कृषि विदेश व्यापार विभाग के अधीन क्रमशः कृषि उत्पादन मण्डी समिति सिधौली सीतापुर, कृषि उत्पादन मण्डी समिति महौली सीतापुर, कृषि उत्पादन मण्डी समिति हरगांव (लहरपुर), सीतापुर तथा प्रतिवेदन वर्ष (2017-2018) में उल्लिखित बेसिक शिक्षा विभाग के अधीन क्रमशः बेसिक शिक्षा समिति, रायबरेली एवं बेसिक शिक्षा समिति, सीतापुर से सम्बन्धित आडिट आपत्तियों पर आधारित है, प्रस्तुत किया।

सभापति, प्रदेश के स्थानीय निकायों के लेखा परीक्षा प्रतिवेदनों की जाँच सम्बन्धी समिति ने प्रदेश के स्थानीय निकायों के लेखा परीक्षा प्रतिवेदनों की जाँच सम्बन्धी समिति (2022-2023) का अष्टम् प्रतिवेदन, जो स्थानीय निधि लेखा परीक्षा विभाग के प्रतिवेदन वर्ष (2017-2018) में उल्लिखित चिकित्सा शिक्षा विभाग के अधीन क्रमशः डॉ० राम मनोहर लोहिया आयुर्विज्ञान संस्थान, गोमती नगर, लखनऊ एवं किंग जार्ज विश्वविद्यालय गांधी स्मारक एवं सम्बद्ध चिकित्सालय, लखनऊ से सम्बन्धित आडिट आपत्तियों पर आधारित है, प्रस्तुत किया।

डा० नीरज बोरा द्वारा दिनांक 05-02-2024 को प्रस्तुत धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा प्राविधिक शिक्षा मंत्री (श्री आशीष पटेल) के भाषण से आरम्भ हुई :-

“यह सदन श्री राज्यपाल के अभिभाषण के लिए, जो उन्होंने राज्य विधान मण्डल के एक साथ समवेत दोनों सदनों के समक्ष दिनांक 02 फरवरी, 2024 को दिया है, कृतज्ञतापूर्वक धन्यवाद प्रकट करता है।”

निम्नलिखित मंत्रिगण/सदस्यगण ने भी चर्चा में भाग लिया :-

मत्स्य मंत्री (श्री संजय निषाद),

श्रीमती आराधना मिश्रा 'मोना',

श्री ओम प्रकाश राजभर,

श्री उमाशंकर सिंह एवं

श्री रघुराज प्रताप सिंह।

तदुपरान्त नेता विरोधी दल ने श्री राज्यपाल के अभिभाषण पर निम्नलिखित संशोधन प्रस्ताव प्रस्तुत किया, जो पढ़ा हुआ माना गया तथा अन्य सदस्यों द्वारा दिए गये संशोधन प्रस्तुत किये हुए माने गए :-

प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित को जोड़ दिया जाये :-

“किन्तु खेद है कि श्री राज्यपाल ने अपने अभिभाषण में निम्नलिखित के विषय में कोई उल्लेख नहीं किया है :-

- 1-कानून-व्यवस्था को चुस्त-दुरुस्त करने के सम्बन्ध में,
- 2-प्रदेश में निरन्तर बढ़ रहे बलात्कार/डकैती/चोरी/लूट/हत्या/जातीय हिंसा आदि को रोकने हेतु किसी ठोस नीति के सम्बन्ध में,
- 3-प्रदेश में बढ़ती महंगाई की रोकथाम करने के सम्बन्ध में,
- 4-किसानों को खाद और बीज क्रय में छूट दिये जाने के सम्बन्ध में,
- 5-किसानों को पर्याप्त मात्रा में खाद उपलब्ध कराने के सम्बन्ध में,
- 6-किसानों के लिए सिंचाई मुफ्त करने के सम्बन्ध में,
- 7-किसानों की कृषक उपज का बेहतर मूल्य उपलब्ध कराने के सम्बन्ध में,
- 8-गन्ना किसानों के गन्ना की खरीद शत-प्रतिशत सुनिश्चित कराने तथा घटतौली, बिचौलिये व दलाली पर अंकुश लगाने के सम्बन्ध में,
- 9-गन्ना मूल्य का सम्पूर्ण भुगतान करने के सम्बन्ध में,
- 10-धान/गेहूं का अवशेष मूल्य भुगतान करने के सम्बन्ध में,
- 11-पशुधन विकास हेतु छोटे किसानों को उन्नत किस्म के दुधारू पशु क्रय करने हेतु ब्याज मुक्त ऋण उपलब्ध कराने के सम्बन्ध में,
- 12-कुक्कुट नीति के सम्बन्ध में,
- 13-छुट्टा पशुओं से फसल की सुरक्षा-व्यवस्था करने के सम्बन्ध में,
- 14-सिंचाई हेतु किसानों को मुफ्त बिजली उपलब्ध कराने के सम्बन्ध में,
- 15-नहरों में सिंचाई हेतु पर्याप्त पानी उपलब्ध कराने के सम्बन्ध में,
- 16-निरन्तर बढ़ रहे साइबर अपराध की रोकथाम के सम्बन्ध में,

17-बेरोजगार नवयुवकों को रोजगार उपलब्ध कराने की किसी ठोस नीति के सम्बन्ध में,

18-प्रतिभावान, साहित्यकारों, कवियों, खिलाड़ियों, उद्यमियों, किसानों, कलाकारों को प्रोत्साहित करने के सम्बन्ध में,

19-प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों में सुदृढ़ अध्यापन कार्य हेतु शिक्षकों की पर्याप्त तैनाती सुनिश्चित किए जाने के सम्बन्ध में,

20-निरन्तर बढ़ रहे पर्यावरण प्रदूषण को रोकने हेतु ठोस नीति के सम्बन्ध में,

21-ग्रामीण क्षेत्रों में शत-प्रतिशत राशन कार्ड बनाये जाने के सम्बन्ध में,

22-अस्पतालों में बढ़ते मरीजों के दबाव को दृष्टिगत रखते हुए दवाएं एवं बेड की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित कराये जाने के सम्बन्ध में,

23-विश्वविद्यालयों एवं महाविद्यालयों में हो रही नियुक्तियों में आरक्षण कोटा पूर्ण किए जाने के सम्बन्ध में,

24-आलू किसानों की बदहाल स्थिति के सुधार हेतु किसी ठोस नीति के सम्बन्ध में,

25-सरकारी नौकरियों में ठेकेदारी प्रथा समाप्त करने के सम्बन्ध में,

26-कोविड-19 में बन्द किये गये राज्य कर्मचारियों के नगर प्रतिकर भत्ता को बहाल करने के सम्बन्ध में, तथा

27-राज्य कर्मचारियों की पुरानी पेंशन योजना बहाल करने के सम्बन्ध में।”

मा0 उप मुख्य मंत्री के भाषण के मध्य 03 बजकर 34 मिनट पर अधिष्ठाता श्री पंकज सिंह पीठासीन हुए।

इसी मध्य 03 बजकर 44 मिनट पर श्री अध्यक्ष पुनः पीठासीन हुए।

मा0 मुख्य मंत्री ने उत्तर भाषण दिया।

तदुपरान्त श्री राज्यपाल के अभिभाषण के सम्बन्ध में नेता विरोधी दल द्वारा प्रस्तुत संशोधन का प्रस्ताव अस्वीकृत हुआ व अन्य संशोधन के प्रस्ताव भी अस्वीकृत हुए तथा डा0 नीरज बोरा द्वारा श्री राज्यपाल के अभिभाषण पर प्रस्तुत धन्यवाद प्रस्ताव मूलरूप में पारित हुआ।

संसदीय कार्य मंत्री ने निम्नलिखित संकल्प प्रस्तुत किया :-

सरयू नदी के तट पर बसा अयोध्या उत्तर प्रदेश राज्य का एक अति प्राचीन धार्मिक नगर है। हिन्दुओं के प्राचीन और सात पवित्र स्थलों में श्रीराम की जन्मभूमि अयोध्या भी सम्मिलित है। हिन्दुओं के सात पवित्र एवं मोक्षदायी स्थान अयोध्या, मथुरा, हरिद्वार, काशी, काञ्चीपुरम, उज्जैन और द्वारका हैं।

अथर्ववेद में अयोध्या को ईश्वर का नगर बताया गया है और इसकी सम्पन्नता की तुलना स्वर्ग से की गई है। रामायण के अनुसार अयोध्या की स्थापना मनु ने की थी। कई शताब्दियों तक यह नगर सूर्यवंश की राजधानी रहा। अयोध्या एक तीर्थ स्थान है और मूल रूप से मंदिरों का शहर है। यहाँ आज भी हिन्दू, बौद्ध और जैन धर्म से जुड़े अवशेष देखे जा सकते हैं। जैन मत के अनुसार यहाँ आदिनाथ सहित पाँच तीर्थंकरों का जन्म हुआ था।

अयोध्या पुण्य नगरी है। अयोध्या और मर्यादा पुरुषोत्तम श्रीराम का अटूट सम्बन्ध है। अयोध्या श्रीरामचन्द्र जी की जन्म-भूमि होने के कारण भारत के प्राचीन साहित्य व इतिहास में सदा से प्रसिद्ध रही है। अयोध्या की महत्ता के बारे में जनसाधारण में कहावत प्रचलित है कि 'गंगा बड़ी गोदावरी, तीरथ बड़ी प्रयाग, सबसे बड़ी अयोध्या नगरी, जहाँ राम लियो अवतार।'

वर्तमान अयोध्या के प्राचीन मंदिरों में सीतारसोई तथा हनुमानगढ़ी मुख्य हैं। कुछ मंदिर 18वीं तथा 19वीं शताब्दी में बने जिनमें कनक भवन, नागेश्वरनाथ तथा दर्शनसिंह मंदिर दर्शनीय हैं। कुछ जैन मंदिर भी हैं। यहाँ पर लगने वाले मेलों के अवसर पर वर्ष भर लाखों तीर्थयात्री देश-विदेश से आते हैं। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार अयोध्या में सूर्यवंशी/रघुवंशी राजाओं का राज हुआ करता था, जिसमें भगवान श्रीराम ने अवतार लिया था। बौद्ध ग्रंथों के अनुसार अयोध्या पूर्ववर्ती तथा साकेत परवर्ती राजधानी थी।

महर्षि वाल्मीकि संस्कृत भाषा के आदि कवि एवं भगवान श्रीराम के जीवन पर आधारित आदि महाकाव्य "रामायण" के रचयिता के रूप में प्रसिद्ध हैं। रामायण एक महाकाव्य है, जो श्रीराम के जीवन के माध्यम से हमें जीवन के सत्य व कर्तव्य से परिचित करवाता है। अपने महाकाव्य "रामायण" में उन्होंने अनेक घटनाओं के समय सूर्य, चन्द्र तथा अन्य नक्षत्रों की स्थितियों का वर्णन किया है। इससे ज्ञात होता है कि वे ज्योतिष विद्या एवं खगोल विद्या के भी प्रकाण्ड ज्ञानी थे। वनवास काल के दौरान भगवान 'श्रीराम' महर्षि वाल्मीकि के आश्रम में भी गए थे। सीता जी ने अपने वनवास का अन्तिम काल इनके आश्रम पर व्यतीत किया तथा वहीं पर लव और कुश का जन्म हुआ।

अयोध्या में पूर्व से निर्मित हवाई पट्टी को बड़े वायुयानों हेतु एयरपोर्ट के रूप में विकसित कर इसका लोकार्पण दिनांक 30 दिसम्बर, 2023 को किया जा चुका है। उत्तर प्रदेश विधान सभा के दिनांक 23 फरवरी, 2021 के उपवेशन में इस आशय का संकल्प पारित किया गया था कि भगवान श्रीराम की नगरी अयोध्या में स्थित एयरपोर्ट का नाम "मर्यादा पुरुषोत्तम श्रीराम अन्तर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, अयोध्या" किया जाए।

जिलाधिकारी, अयोध्या को जनपद अयोध्या के साधु-सन्तगण, मा0 जनप्रतिनिधिगण एवं आम-जनमानस से विचार-विमर्श करने पर उनके द्वारा अयोध्या हवाई अड्डे का नाम “महर्षि वाल्मीकि अन्तर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, अयोध्या” किए जाने का सुझाव प्राप्त हुआ है।

उत्तर प्रदेश विधान सभा के दिनांक 23 फरवरी, 2021 को पारित संकल्प के स्थान पर आज दिनांक 07 फरवरी, 2024 को इस आशय का संकल्प लेती है कि भगवान श्रीराम की नगरी अयोध्या में स्थित एयरपोर्ट का नाम “महर्षि वाल्मीकि अन्तर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, अयोध्या धाम” कर दिया जाए।

(प्रस्ताव सर्वसम्मति से स्वीकृत हुआ)।

तत्पश्चात् श्री अध्यक्ष द्वारा वित्तीय वर्ष 2024-2025 के आय-व्ययक पर साधारण चर्चा हेतु प्रतिपक्ष के सदस्यों को आमंत्रित किये जाने पर नेता विरोधी दल ने बजट पर चर्चा अगले दिन से प्रारम्भ कराने का अनुरोध किया। तदुपरान्त चर्चा अगले दिन के लिए जारी हुई।

इंजी0 बृजेश कटेरिया, सदस्य विधान सभा की जनपद मैनपुरी के विधान सभा क्षेत्र किशनी में किशनी से रामनगर होकर विशुनगढ़ तक के मार्ग का सुदृढीकरण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री नौरतन सिंह यादव व अन्य निवासीगण जनपद मैनपुरी की याचिका उपस्थित की हुई मानी गई।

श्री सचिन यादव, सदस्य विधान सभा की जनपद फिरोजाबाद की तहसील जसराना के अन्तर्गत ग्राम भिटी स्थित प्राथमिक विद्यालय के भवन का सुदृढीकरण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री भूपेन्द्र चाहर मास्टर व अन्य निवासीगण जनपद फिरोजाबाद की याचिका उपस्थित की हुई मानी गई।

श्री शलभ मणि त्रिपाठी, सदस्य विधान सभा की जनपद देवरिया की विधान सभा क्षेत्र देवरिया सदर में देवरिया-गोरखपुर मार्ग पर स्थित ओवर ब्रिज का दोहरीकरण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री नवीन सिंह सैथवार व अन्य निवासीगण जनपद देवरिया की याचिका उपस्थित की हुई मानी गई।

डॉ0 आर0 के0 पटेल, सदस्य विधान सभा की जनपद जौनपुर के विधान सभा क्षेत्र मड़ियाहूँ के पट्टी भरथराय से गोपालपुर घाट बसुही नदी पर पुल या रपटा का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री राकेश कुमार मिश्र व अन्य निवासीगण जनपद जौनपुर की याचिका उपस्थित की हुई मानी गई।

डॉ0 एम0 पी0 आर्य, सदस्य विधान सभा की जनपद बरेली की विधान सभा क्षेत्र-121, नवाबगंज क्षेत्रान्तर्गत विकास खण्ड भदपुरा के ग्राम चौखण्डी से ग्राम अल्लैया तक सड़क निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री हरवंश पटेल व अन्य निवासीगण जनपद बरेली की याचिका उपस्थित की हुई मानी गई।

डॉ० पल्लवी पटेल, सदस्य विधान सभा की अनुपस्थिति में जनपद कौशाम्बी की सिराथू तहसील में स्थित लेखपाल संघ के जर्जर भवन के नव निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्रीमती अनीता व अन्य निवासीगण जनपद कौशाम्बी की याचिका व्यपगत हुई।

डॉ० मुकेश चन्द्र वर्मा, सदस्य विधान सभा की जनपद फिरोजाबाद के विधान सभा क्षेत्र शिकोहाबाद के ग्राम मोढा में अकलपुर रोड से वीरेन्द्र के मकान होते हुए राजीव दिवाकर के स्कूल तक सड़क का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री वीरेन्द्र व अन्य निवासीगण जनपद फिरोजाबाद की याचिका उपस्थित की हुई मानी गई।

डॉ० रागिनी, सदस्य विधान सभा की जनपद जौनपुर के विधान सभा क्षेत्र मछलीशहर के ग्राम चकनारायणपुर में राजेन्द्र यादव के घर के पीछे से मनरा देवी शिक्षण संस्थान के मोड़ तक पिच रोड का नव निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री संदीप यादव, निवासी जनपद जौनपुर की याचिका उपस्थित की हुई मानी गई।

डॉ० वीरेन्द्र यादव, सदस्य विधान सभा की जनपद गाजीपुर के विधान सभा क्षेत्र जंगीपुर के अन्तर्गत ग्राम सभा महमूदपुर-बलुआ पिच रोड से होते हुए संदीप यादव व रामजी यादव के घर तक सी०सी० मार्ग (300मी०) का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री संदीप यादव व अन्य निवासीगण जनपद गाजीपुर की याचिका उपस्थित की हुई मानी गई।

श्री वीर विक्रम सिंह, सदस्य विधान सभा की अनुपस्थिति में जनपद शाहजहाँपुर के विकास खण्ड खुदागंज के अन्तर्गत ग्राम सिमौरी से ग्राम बक्सापुर गुरुद्वारा तक कच्चे मार्ग का डामरीकरण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री कर्मवीर सिंह व अन्य निवासीगण जनपद शाहजहाँपुर की याचिका व्यपगत हुई।

डॉ० सुनील पटेल, सदस्य विधान सभा की जनपद वाराणसी के विधान सभा क्षेत्र 387-रोहनिया के ग्राम मथुरापुर (भरथरा) में वंशनारायण पटेल के घर से पुनवासी पटेल के घर तक व अन्य मार्गों का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री बसन्त लाल पटेल व अन्य निवासीगण जनपद वाराणसी की याचिका उपस्थित की हुई मानी गई।

मेजर सुनील दत्त द्विवेदी, सदस्य विधान सभा की अनुपस्थिति में जनपद लखनऊ के अन्तर्गत लखनऊ विकास प्राधिकरण द्वारा विकसित आवासीय सेक्टर एल कानपुर रोड योजना, लखनऊ के अन्तर्गत वर्ष 1999 में आवंटित भू-खण्ड संख्या ए-1/246 एवं ए-1/239 का कब्जा आवंटियों को दिलाये जाने के सम्बन्ध में श्री एस० डी० द्विवेदी व अन्य निवासीगण जनपद लखनऊ की याचिका उपस्थित व्यपगत हुई।

श्री अखिलेश, सदस्य विधान सभा की जनपद आजमगढ़ के नगर पंचायत क्षेत्र जहानागंज के अन्तर्गत मोहल्ला बरहतिर जगदीशपुर में सड़क मार्ग से सालचन्द यादव के घर तक का सम्पर्क मार्ग (250मी०) का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री संतोष यादव व अन्य निवासीगण जनपद आजमगढ़ की याचिका उपस्थित की हुई मानी गई।

श्री अजय सिंह, सदस्य विधान सभा की जनपद गोण्डा की तहसील करनैलगंज के अन्तर्गत ग्राम हीरापुर कमियार में पंडितपुरवा से चौधरीपुरवा तक सम्पर्क मार्ग का नव निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री सुनील सिंह व अन्य निवासीगण जनपद गोण्डा की याचिका उपस्थित की हुई मानी गई।

श्री अतुल प्रधान, सदस्य विधान सभा की जनपद मेरठ के विधान सभा क्षेत्र सरधना के ग्राम ममूरी से सरसवा मार्ग तक सड़क मार्ग का निर्माण कार्य कराये जाने के सम्बन्ध में श्री पुष्पेन्द्र निवासी जनपद मेरठ की याचिका उपस्थित की हुई मानी गई।

श्री अनिल कुमार, सदस्य विधान सभा की जनपद मुजफ्फरनगर के विधान सभा क्षेत्र-13, पुरकाजी के विकास खण्ड पुरकाजी में गंग नहर के कैनाल से बसेड़ी तक सम्पर्क मार्ग का नव निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री मिन्टू व अन्य निवासीगण जनपद मुजफ्फरनगर की याचिका उपस्थित की हुई मानी गई।

श्री अनिल प्रधान, सदस्य विधान सभा की जनपद चित्रकूट विकास खण्ड कर्वी के ग्राम पंचायत घुरेटनपुर के पनिहनपुर सम्पर्क मार्ग से पशु चिकित्सालय होते हुये रामनिहोर के पुरवा तक सी0सी0 रोड का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री अनिल कुमार व अन्य निवासीगण जनपद चित्रकूट की याचिका उपस्थित की हुई मानी गई।

श्री अनिल सिंह, सदस्य विधान सभा की जनपद उन्नाव के विधान सभा क्षेत्र पुरवा के ग्राम पंचायत अहेसा में स्कूल के नाम से संरक्षित भूमि पर राजकीय इण्टर कालेज बनवाये जाने के सम्बन्ध में श्री दीपक अवस्थी व अन्य निवासीगण जनपद उन्नाव की याचिका उपस्थित की हुई मानी गई।

श्री अमिताभ बाजपेयी, सदस्य विधान सभा की जनपद बुलन्दशहर के ग्राम क्योलीकला पोस्ट-आगरपुर में जयपाल सिंह के घर से शमशान स्थल तक सड़क मार्ग का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री कपिल सोलंकी निवासी जनपद बुलंदशहर की याचिका उपस्थित की हुई मानी गई।

श्री अशरफ अली खान, सदस्य विधान सभा की जनपद शामली के विधान सभा क्षेत्र थानाभवन के ग्राम भैसवाल रोड पर झण्डू चौक से ग्राम गोहरनी तक मार्ग का सी0सी0 निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री राजीव बेनीवाल व अन्य निवासीगण जनपद शामली की याचिका उपस्थित की हुई मानी गई।

श्री आशीष कुमार सिंह 'आशू', सदस्य विधान सभा की जनपद हरदोई के विधान सभा क्षेत्र बिलग्राम-मल्लावां के अन्तर्गत (लोक निर्माण विभाग) मेसर्स इंजीनियर्स क्रिएशन इण्डिया द्वारा बनवाये गये मार्ग शुक्लापुर भगत से गोकुलपुरवा सम्पर्क मार्ग व नानहूपुरवा मार्ग से मढिया सम्पर्क मार्ग की गुणवत्ता की जांच कराकर मार्ग को सुधार करते हुये दोषी को दण्डित किये जाने

के सम्बन्ध में श्री रामजी शुक्ला व अन्य निवासीगण जनपद हरदोई की याचिका उपस्थित की हुई मानी गई।

श्री उमर अली खान, सदस्य विधान सभा की जनपद सहारनपुर के बेहट विधान सभा क्षेत्र के ग्राम खुजनावर, ग्राम रायपुर व अन्य ग्रामों में कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय की स्थापना कराये जाने के सम्बन्ध में श्री राशिद अली व अन्य निवासीगण जनपद सहारनपुर की याचिका उपस्थित की हुई मानी गई।

श्री ओम प्रकाश, सदस्य विधान सभा की जनपद गाजीपुर के अन्तर्गत दिलदार नगर भक्ती से जमानियां सड़क का निर्माण लगभग 14 किमी० कराये जाने के सम्बन्ध में श्री चन्द्रशेखर यादव व अन्य निवासीगण जनपद गाजीपुर की याचिका उपस्थित की हुई मानी गई।

श्री कमलाकान्त राजभर उर्फ पणू, सदस्य विधान सभा की जनपद आजमगढ़ के विधान सभा क्षेत्र दीदारगंज में जगदीशपुर सोहवली से लल्लूगंज चौराहा भट्टा होते हुए मार्टिनगंज आरा तक की जीर्ण-शीर्ण सड़क की मरम्मत कराये जाने के सम्बन्ध में श्री उमेश राजभर व अन्य निवासीगण जनपद आजमगढ़ की याचिका उपस्थित की हुई मानी गई।

श्री कविन्द्र चौधरी, सदस्य विधान सभा की जनपद बस्ती की तहसील हरैया के शुक्लपुरा चौधरी चरण सिंह महाविद्यालय से मसहा गांव तक मार्ग का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री देवेन्द्र चौधरी व अन्य निवासीगण जनपद बस्ती की याचिका उपस्थित की हुई मानी गई।

श्री कैलाश नाथ शुक्ल, सदस्य विधान सभा की जनपद बलरामपुर के विकास खण्ड तुलसीपुर के अन्तर्गत महाराजगंज तराई से महमूदनगर मार्ग पर ग्राम जहानडीह धनौडा होते हुए पैनहवा तक लम्बाई लगभग 3.5 किमी० मार्ग का निर्माण कार्य कराये जाने के सम्बन्ध में श्री जगदम्बा प्रसाद मिश्रा व अन्य निवासीगण जनपद बलरामपुर की याचिका उपस्थित की हुई मानी गई।

श्री गणेश चन्द्र, सदस्य विधान सभा की जनपद सन्तकबीरनगर के विधान सभा क्षेत्र घनघटा में ग्राम मुखलिसपुर के जर्जर बस स्टैण्ड का नव निर्माण कार्य कराये जाने के सम्बन्ध में श्री शिवम व अन्य निवासीगण जनपद सन्तकबीरनगर की याचिका उपस्थित की हुई मानी गई।

श्री गुलाम मोहम्मद, सदस्य विधान सभा की जनपद मेरठ के विधान सभा क्षेत्र सिवालखास के अन्तर्गत कस्बा सिवालखास से ग्राम खानपुर को जाने वाले बम्बे की पटरी मार्ग का निर्माण कार्य कराये जाने के सम्बन्ध में श्री तसव्वर अली व अन्य निवासीगण जनपद मेरठ की याचिका उपस्थित की हुई मानी गई।

श्री गौरव कुमार, सदस्य विधान सभा की अनुपस्थिति में जनपद बाराबंकी के विधान सभा क्षेत्र जैदपुर के ब्लॉक हरख में हैदरगढ़-बाराबंकी मार्ग पर नरौली से भगवानपुर पुरवा सम्पर्क क्षतिग्रस्त सड़क का चौड़ीकरण एवं सुदृढ़ीकरण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री सरताज चौधरी व अन्य निवासीगण जनपद बाराबंकी की याचिका व्यपगत हुई।

श्री गौरी शंकर वर्मा (कोरी), सदस्य विधान सभा की जनपद जालौन के विकास खण्ड डकोर के ग्राम खेड़ा कला में सुदामादीन के मकान से अवनीश के खेत होते हुए तालाब तक सड़क का निर्माण कार्य कराये जाने के सम्बन्ध में श्री बृजेश निरंजन व अन्य निवासीगण जनपद जालौन की याचिका उपस्थित की हुई मानी गई।

श्री चन्दन चौहान, सदस्य विधान सभा की जनपद मुजफ्फरनगर के विधान सभा क्षेत्र मीरापुर के वि०खं० मोरना में मोरना भोपा लो० नि० मार्ग से किशनपुर तिस्सा मार्ग का चौड़ीकरण का कार्य कराये जाने के सम्बन्ध में श्री जाहिद व अन्य निवासीगण जनपद मुजफ्फरनगर की याचिका उपस्थित की हुई मानी गई।

श्री बाबूलाल, सदस्य विधान सभा की जनपद आगरा के ब्लॉक फतेहपुर सीकरी के ग्राम दुल्हारा से मठ तक की सड़क को पक्का कराये जाने के सम्बन्ध में श्री वीरेन्द्र सिंह व अन्य निवासीगण जनपद आगरा की याचिका उपस्थित की हुई मानी गई।

श्री जय प्रकाश अंचल, सदस्य विधान सभा की जनपद बलिया के विधान सभा क्षेत्र बैरिया में घाघरा नदी की कटान को रोके जाने के सम्बन्ध में श्री सुधीर यादव व अन्य निवासीगण जनपद बलिया की याचिका उपस्थित की हुई मानी गई।

श्री जयमंगल, सदस्य विधान सभा की जनपद महाराजगंज के बांसपार बैजौली मार्ग से पडरी के बीच बलिया नाला पर अर्द्धनिर्मित लघु सेतु एवं पहुंच मार्ग के निर्माण के सम्बन्ध में श्री विजय पटेल व अन्य निवासीगण जनपद महाराजगंज की याचिका उपस्थित की हुई मानी गई।

श्री जवाहर लाल राजपूत, सदस्य विधान सभा की जनपद झांसी के ब्लॉक बामौर के देवरी से धनौरा होते हुए ककरवई तक सड़क मार्ग का पुनर्निर्माण/मरम्मत कराये जाने के सम्बन्ध में श्री अशोक तिवारी व अन्य निवासीगण जनपद झांसी की याचिका उपस्थित की हुई मानी गई।

श्री जीत लाल पटेल, सदस्य विधान सभा की अनुपस्थिति में जनपद प्रतापगढ़ के विधान सभा क्षेत्र विश्वनाथगंज के भटपुरवा गाँव में जाने के लिये बकुलाही नदी पर पुल का निर्माण कार्य कराये जाने के सम्बन्ध में श्री राज कुमार पटेल व अन्य निवासीगण जनपद प्रतापगढ़ की याचिका उपस्थित की हुई मानी गई।

श्री जैकिशन साहू, सदस्य विधान सभा की जनपद गाजीपुर के विधान सभा क्षेत्र सवर के ग्राम हिमदौपुर में राममूरत यादव के घर से काली माता के मन्दिर तक डामर मार्ग का

निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री हरिकेश यादव व अन्य निवासीगण जनपद गाजीपुर की याचिका उपस्थित की हुई मानी गई।

श्री ज्ञानेन्द्र सिंह, सदस्य विधान सभा की जनपद महाराजगंज की विधान सभा क्षेत्र महाराजगंज की ग्राम सभा डोमरा के पास रोहिनी नदी पर पुल का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री वीरेन्द्र सिंह व अन्य निवासीगण जनपद महाराजगंज की याचिका उपस्थित की हुई मानी गई।

श्री त्रिभुवन दत्त, सदस्य विधान सभा की जनपद अम्बेडकरनगर के विधान सभा क्षेत्र आलापुर के विकास खण्ड जहागीरगंज के ग्राम टिलकटण्डा में सिकन्दपुर नरियाव मुख्य मार्ग पर राम प्रसाद यादव के घर से अमर जीत यादव के चक तक पिच मार्ग का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री परशुराम यादव व अन्य निवासीगण जनपद अम्बेडकरनगर की याचिका उपस्थित की हुई मानी गई।

श्री देवेन्द्र कुमार निम, सदस्य विधान सभा की जनपद सहारनपुर के ब्लॉक रामपुर मनिहारन के ग्राम टपरी में हिंडन नदी पर रपटे का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री ठा0 बृजेश सिंह व अन्य निवासीगण जनपद सहारनपुर की याचिका उपस्थित की हुई मानी गई।

श्री निर्मल वर्मा, सदस्य विधान सभा की जनपद सीतापुर की तहसील बिसवां में रामपुर घेरवां पेंटेड मार्ग से कुटी होते हुए कमरिया पेंटेड मार्ग तक सड़क मार्ग का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री नागेन्द्र सिंह व अन्य निवासीगण जनपद सीतापुर की याचिका उपस्थित की हुई मानी गई।

श्री पंकज कुमार मलिक, सदस्य विधान सभा की पी0एन0बी0 मैटलाइफ इंडिया के श्री रमाकान्ता पाण्डेय द्वारा पी0एन0बी0 में मैटलाइफ इंडिया इश्योरेंस कम्पनी लिमिटेड का प्रबन्धक बताकर फर्जी पॉलिसी के नाम पर ठगी करने के सम्बन्ध में दर्ज मुकदमें में गिरफ्तारी कराकर जांच कराए जाने के सम्बन्ध में श्री दिनेश कुमार निवासी जनपद रायबरेली की याचिका उपस्थित की हुई मानी गई।

श्री पीयूष रंजन निषाद, सदस्य विधान सभा की जनपद प्रयागराज के विकास खण्ड क्षेत्र करछना के पनासा के लकटहा मजरा में आवास प्रदान करने के सम्बन्ध में श्री भुअर निषाद निवासी जनपद प्रयागराज की याचिका उपस्थित की हुई मानी गई।

श्री पूरन प्रकाश, सदस्य विधान सभा की जनपद मथुरा के ब्लॉक फरह के ग्राम पंचायत ओल को नगर पंचायत बनाये जाने के सम्बन्ध में श्री राजू चौधरी व अन्य निवासीगण जनपद मथुरा की याचिका उपस्थित की हुई मानी गई।

श्री प्रदीप कुमार चौधरी, सदस्य विधान सभा की अनुपस्थिति में जनपद बुलन्दशहर की सदर विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत ग्राम राजगढ़ी में सुरेन्द्र के घर से जगत सिंह के घर तक

लगभग 120 मी० मार्ग का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री महेन्द्र सिंह व अन्य निवासीगण जनपद बुलन्दशहर की याचिका व्यपगत हुई।

श्री प्रदीप कुमार सिंह, सदस्य विधान सभा की जनपद हाथरस के विधान सभा क्षेत्र-79, सादाबाद के विकास खण्ड सादाबाद में जुगसना रजवाहा के ग्राम गुमानी गढ़ी से नगल फत्ता तक कच्चे मार्ग का नव निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री बलुआ चौधरी व अन्य निवासीगण जनपद हाथरस की याचिका उपस्थित की हुई मानी गई।

श्री प्रदीप कुमार, सदस्य विधान सभा की जनपद लखनऊ स्थित मेसर्स ओमेक्स लि० इण्टीग्रेटेड टाउनशिप हेतु गाटा संख्या-436 ग्राम सभा सरसवां, तहसील सरोजनीनगर में श्री श्याम मनोहर को विस्थापन के उपरान्त प्राप्त भू-भाग 0.1122 को अधिग्रहण की कार्यवाही से मुक्त कराये जाने के सम्बन्ध में श्री श्याम मनोहर व अन्य निवासीगण जनपद लखनऊ की याचिका उपस्थित की हुई मानी गई।

श्री प्रदीप शुक्ला, सदस्य विधान सभा की जनपद गोरखपुर के विकास खण्ड खजनी में नगवां से नन्दापार छताही होते हुए खजनी तक नाली का निर्माण कार्य कराये जाने के सम्बन्ध में श्री धर्मराज व अन्य निवासीगण जनपद गोरखपुर की याचिका उपस्थित की हुई मानी गई।

श्री प्रभात कुमार वर्मा, सदस्य विधान सभा की अनुपस्थिति में जनपद गोण्डा की तहसील मनकापुर के विकास खण्ड छपिया के अन्तर्गत राजकीय बालिका इण्टर कालेज महाराजगंज ग्रन्ट छपिया में नव निर्माण/वित्तीय स्वीकृति कराये जाने के सम्बन्ध में श्री रामतीरथ वर्मा व अन्य निवासीगण जनपद गोण्डा की याचिका व्यपगत हुई।

श्री प्रसन्न कुमार, सदस्य विधान सभा की जनपद शामली के विकास खण्ड शामली के अन्तर्गत ग्राम कुड़ाना में जर्जर पशु चिकित्सालय का पुनर्निर्माण कराए जाने के सम्बन्ध में श्री बीरपाल सिंह व अन्य निवासीगण जनपद शामली की याचिका उपस्थित की हुई मानी गई।

श्री बम्बा लाल दिवाकर, सदस्य विधान सभा की जनपद उन्नाव के विकास खण्ड फतेहपुर चौरासी के अन्तर्गत ग्राम पंचायत पेसारी में सड़क का निर्माण कार्य कराये जाने के सम्बन्ध में श्री सुजीत कुमार व अन्य निवासीगण जनपद उन्नाव की याचिका उपस्थित की हुई मानी गई।

श्री बेचई सरोज, सदस्य विधान सभा की अनुपस्थिति में जनपद आजमगढ़ के विकास खण्ड लालगंज की ग्राम सभा अकबालपुर उर्फ नाउपुर में श्री सुवाष यादव के घर के सामने नहर शाखा पर पुलिया का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री उमेश यादव व अन्य निवासीगण जनपद आजमगढ़ की याचिका व्यपगत हुई।

श्री बेदी, सदस्य विधान सभा की अनुपस्थिति में जनपद गाजीपुर के विधान सभा क्षेत्र जखनिया के ग्राम डहरमउआ में सैदपुर बहरियाबाद मेन मार्ग से सुदर्शन राजभर के घर व

अन्य ग्रामों में सड़क का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री राजेश जायसवाल व अन्य निवासीगण जनपद गाजीपुर की याचिका व्यपगत हुई।

श्री ब्रजभूषण राजपूत, सदस्य विधान सभा की जनपद महोबा के अन्तर्गत नगर पालिका कुलपहाड़ में स्थित 200 वर्ष पुराना किशोर तालाब मन्दिर का सौन्दर्यीकरण व जीर्णोद्धार कराये जाने के सम्बन्ध में श्री अमित प्रताप व अन्य निवासीगण जनपद महोबा की याचिका उपस्थित की हुई मानी गई।

श्री मनीष रावत, सदस्य विधान सभा की जनपद सीतापुर के विधान सभा क्षेत्र सिधौली में कमलापुर से सिधौली होते हुए जनपद लखनऊ तक जाने वाली खीरी ब्रान्च नहर में जमा सिल्ट की सफाई का कार्य कराये जाने के सम्बन्ध में श्री चित्रकेश यादव व अन्य निवासीगण जनपद सीतापुर की याचिका उपस्थित की हुई मानी गई।

श्री मनोज कुमार पाण्डेय, सदस्य विधान सभा की जनपद रायबरेली के विकास खण्ड ऊंचाहार के अन्तर्गत ग्राम निगोहां में हुरैसा से पूरे चूर के पुरवा को जाने वाले मार्ग का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री आशीष तिवारी निवासी जनपद रायबरेली की याचिका उपस्थित की हुई मानी गई।

श्री मनोज कुमार पारस, सदस्य विधान सभा की जनपद बिजनौर के विधान सभा क्षेत्र नगीना के ब्लॉक कोतवाली के ग्राम मनीरामपुर से ग्राम गनौरा तक त्वरित विकास निधि से बने मार्ग की मरम्मत कराने एवं मार्ग पर पड़ने वाली बान नदी पर पुल बनवाये जाने के सम्बन्ध में श्री सन्तराम सिंह व अन्य निवासीगण जनपद बिजनौर की याचिका उपस्थित की हुई मानी गई।

श्री महेन्द्र सिंह खड़गवंशी, सदस्य विधान सभा की जनपद अमरोहा के विकास खण्ड हसनपुर के ग्राम हाजीपुरा तरारा में गाँव के चौराहा से सुमा टेर की ओर सी0सी0 रोड व नाली का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री प्रेमपाल व अन्य निवासीगण जनपद अमरोहा की याचिका उपस्थित की हुई मानी गई।

श्री मूलचंद सिंह, सदस्य विधान सभा की अनुपस्थिति में जनपद जालौन की तहसील माधौगढ़ के अन्तर्गत कुसमरा परावर मार्ग पर ग्राम अतरौली के पास पहूज नदी पर रपटा निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री सोनू पाल व अन्य निवासीगण जनपद जालौन की याचिका व्यपगत हुई।

श्री मेघश्याम सिंह, सदस्य विधान सभा की अनुपस्थिति में जनपद मथुरा के ब्लाक मथुरा में अड़ीग से मुखराई तक सड़क का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री कपिल व अन्य निवासीगण जनपद मथुरा की याचिका व्यपगत हुई।

श्री मोहित सोनकर 'राहुल बच्चा', सदस्य विधान सभा की जनपद कानपुर नगर के विकास खण्ड ककवन की ग्राम पंचायत कसिगवां में पांडु नदी पर प्लाटून पुल की स्थापना कराये

जाने के सम्बन्ध में श्री सुरेश राठौर व अन्य निवासीगण जनपद कानपुर नगर की याचिका उपस्थित की हुई मानी गई।

श्री मौहम्मद फहीम इरफान, सदस्य विधान सभा की जनपद मुरादाबाद के विधान सभा क्षेत्र बिलारी के अन्तर्गत राष्ट्रीय राजमार्ग 509 को ग्राम मोहम्मद इब्राहीमपुर से जोड़ने वाले मार्ग का डामरीकरण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री मौहम्मद उसमान व अन्य निवासीगण जनपद मुरादाबाद की याचिका उपस्थित की हुई मानी गई।

श्री रमेश जायसवाल, सदस्य विधान सभा की अनुपस्थिति में जनपद चन्दौली के विकास खण्ड नियामताबाद की ग्राम सभा जगदीशपुर उर्फ भटरिया में चकिया रोड से पंचायत भवन तक पिच रोड का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री रामचन्द्र बिन्द व अन्य निवासीगण जनपद चन्दौली की याचिका व्यपगत हुई।

श्री रवि शर्मा, सदस्य विधान सभा की जनपद झाँसी महानगर के वार्ड नं0-39 बाहर दतिया गेट में सड़क एवं नाली का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री मोंटी साहू व अन्य निवासीगण जनपद झाँसी की याचिका उपस्थित की हुई मानी गई।

श्री रविदास मेहरोत्रा, सदस्य विधान सभा की जनपद लखनऊ के विधान सभा क्षेत्र मध्य के अन्तर्गत रकाबगंज स्थित रकाबगंज से नक्खास की सड़क का निर्माण कार्य कराये जाने के सम्बन्ध में श्री मो0 जावेदन खान व अन्य निवासीगण जनपद लखनऊ की याचिका उपस्थित की हुई मानी गई।

श्री राज प्रसाद उपाध्याय, सदस्य विधान सभा की जनपद सुल्तानपुर के विधान सभा क्षेत्र सदर से अयोध्या धाम जाने वाले राम पथ के किनारे कूरेभार बाजार में स्थित सिंचाई विभाग (नलकूप) के अतिथि गृह के साथ उसकी बाउन्ड्रीवाल का निर्माण एवं अतिथि गृह का जीर्णोद्धार कराये जाने के सम्बन्ध में श्री सतीश तिवारी व अन्य निवासीगण जनपद सुल्तानपुर की याचिका उपस्थित की हुई मानी गई।

श्री राजपाल सिंह बालियान, सदस्य विधान सभा की अनुपस्थिति में जनपद मुजफ्फरनगर के विधान सभा क्षेत्र बुढ़ाना के अन्तर्गत ग्राम बुढ़ाना और कांधला मार्ग तक जर्जर मार्ग (14.00 किमी0) की विशेष मरम्मत का कार्य कराये जाने के सम्बन्ध में श्री मुन्ना व अन्य निवासीगण जनपद मुजफ्फरनगर की याचिका व्यपगत हुई।

श्री राजीव कुमार सिंह “बब्बू भैया”, सदस्य विधान सभा की जनपद बदायूँ के विधान सभा क्षेत्र दातागंज के विकास खण्ड दातागंज में स्टेडियम का निर्माण कार्य कराये जाने के सम्बन्ध में श्री तेजपाल सागर व अन्य निवासीगण जनपद बदायूँ की याचिका उपस्थित की हुई मानी गई।

श्री राजेन्द्र प्रसाद चौधरी, सदस्य विधान सभा की जनपद बस्ती की तहसील रुधौली के दाउदपट्टी से तेलियाडीह मार्ग का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री हरिद्वार चौधरी, निवासी जनपद बस्ती की याचिका उपस्थित की हुई मानी गई।

श्री राजेन्द्र कुमार मौर्य, सदस्य विधान सभा की अनुपस्थिति में जनपद प्रतापगढ़ विकास खण्ड सण्डवा-चण्डिका के गोडे फाटक 87 सी व रेलवे लाइन के किनारे से पण्डितपुर वाया संग्रामपुर वर्मा बस्ती तक सड़क मार्ग का नवनिर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री रामबरन मौर्य व अन्य निवासीगण जनपद प्रतापगढ़ की याचिका व्यपगत हुई।

श्री राजेन्द्र सिंह पटेल, सदस्य विधान सभा की जनपद फतेहपुर के ब्लॉक देवमई के अन्तर्गत जोगा महमूद से रामपुर हाई-वे वकेवर मार्ग का डामरीकरण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री आशीष पटेल व अन्य निवासीगण जनपद फतेहपुर की याचिका उपस्थित की हुई मानी गई।

श्री राम अचल राजभर, सदस्य विधान सभा की जनपद अम्बेडकरनगर के विकास खण्ड अकबरपुर के अन्तर्गत स्थित ग्राम सभा करमुल्हा छितूनी पिच मार्ग से जगन्नाथ वर्मा के घर से हाशिम गढ़ होते हुए बेलहा गॉव तक जर्जर/क्षतिग्रस्त सम्पर्क मार्ग का पिच निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री राम आशीष राजभर व अन्य निवासीगण जनपद अम्बेडकरनगर की याचिका उपस्थित की हुई मानी गई।

श्री राम फेरन पाण्डेय, सदस्य विधान सभा की जनपद श्रावस्ती के विधान सभा क्षेत्र श्रावस्ती के विवेश्वरगंज मार्ग का चौड़ीकरण एवं उच्चीकरण का कार्य कराये जाने के सम्बन्ध में श्री राना व अन्य निवासीगण जनपद श्रावस्ती की याचिका उपस्थित की हुई मानी गई।

श्री रामरतन कुशवाहा, सदस्य विधान सभा की जनपद ललितपुर की विधान सभा क्षेत्र ललितपुर नगर में पानी की टंकी से गोविन्द सागर डैम के मुहाने तक सड़क का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री मुन्नालाल जैन व अन्य निवासीगण जनपद ललितपुर की याचिका उपस्थित की हुई मानी गई।

श्री लक्ष्मी राज सिंह, सदस्य विधान सभा की जनपद बुलन्दशहर के ग्राम बौड़ा से ग्राम प्रानगढ़ तक डामर रोड का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री सुरेश चन्द शर्मा व अन्य निवासीगण जनपद बुलन्दशहर की याचिका उपस्थित की हुई मानी गई।

श्री लाल जी वर्मा, सदस्य विधान सभा की जनपद अम्बेडकरनगर विकास खण्ड कटेहरी के अन्तर्गत महरूआ से हीड़ीपकड़िया मार्ग का लेपन स्तर तक निर्माण कार्य कराये जाने के सम्बन्ध में श्री राजेश गुप्ता व अन्य निवासीगण जनपद अम्बेडकरनगर की याचिका उपस्थित की हुई मानी गई।

श्री विकास गुप्ता, सदस्य विधान सभा की जनपद फतेहपुर की नगर पालिका परिषद् फतेहपुर के अन्तर्गत भिखारीपुर में अशोक नगर बस स्टाप के पास श्रीमती रामा अग्रहरि जी के

नाम से स्मृति द्वार का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री गौरव गुप्ता व अन्य निवासीगण जनपद फतेहपुर की याचिका उपस्थित की हुई मानी गई।

श्री विजयपाल (आढ़ती), सदस्य विधान सभा की अनुपस्थिति में जनपद हापुड़ के ग्राम जरौठी में त्रिलोक के खेत से लेकर मेरठ बाई-पास तक कच्चा मार्ग निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री यशवीर चौधरी व अन्य निवासीगण जनपद हापुड़ की याचिका व्यपगत हुई।

श्री विनोद चतुर्वेदी, सदस्य विधान सभा की जनपद जालौन की विधान सभा क्षेत्र कालपी के अन्तर्गत विकास खण्ड कुठौन्द के कुठौन्द में उरई औरैया मार्ग से बम्बी के बगल होते हुए सुरावली तक सड़क का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री अशोक चतुर्वेदी व अन्य निवासीगण जनपद जालौन की याचिका उपस्थित की हुई मानी गई।

श्री विपुल दुबे, सदस्य विधान सभा की जनपद भदोही के विधान सभा क्षेत्र ग्यानपुर के डीघ ब्लाक जिला पंचायत मार्ग जी0 टी0 रोड से दरवासी मार्ग तक लेपन कार्य कराये जाने के सम्बन्ध में श्री अशोक कुमार व अन्य निवासीगण जनपद भदोही की याचिका उपस्थित की हुई मानी गई।

श्री विवेक कुमार वर्मा, सदस्य विधान सभा की जनपद पीलीभीत के विकास खण्ड विलसण्डा के ग्राम भदेगकंजा मजरा लाखनगर से सिताराबाबा तक सम्पर्क मार्ग का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री जितेन्द्र कुमार व अन्य निवासीगण जनपद पीलीभीत की याचिका उपस्थित की हुई मानी गई।

श्री श्याम सुन्दर, सदस्य विधान सभा की जनपद रायबरेली की बछरावां विधान सभा क्षेत्र में रजबहा राजामऊ, मेहरबान खेरा, समहोदा के पास पुल का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री जयचन्द कुशवाहा, निवासी जनपद रायबरेली की याचिका उपस्थित की हुई मानी गई।

श्री संदीप सिंह, सदस्य विधान सभा की जनपद प्रयागराज के मेजा विधान सभा क्षेत्र के ऊटी में नाले की पुलिया से चन्द्रिका प्रसाद (एडवोकेट) के घर तक सम्पर्क मार्ग का नवनिर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री चंद्रिका प्रसाद निवासीगण जनपद प्रयागराज की याचिका उपस्थित की हुई मानी गई।

श्री सर्वेश सिंह, सदस्य विधान सभा की अनुपस्थिति में जनपद फिरोजाबाद की विधान सभा क्षेत्र सिरसागंज के ग्राम बलालपुर में मदन के खेत से गुरुदयाल के मकान तक मार्ग का नवनिर्माण कार्य कराये जाने के सम्बन्ध में श्री प्रदीप यादव व अन्य निवासीगण जनपद फिरोजाबाद की याचिका व्यपगत हुई।

श्री सीताराम वर्मा, सदस्य विधान सभा की जनपद सुल्तानपुर में ग्रामीण क्षेत्रों में हर घर नल योजना के अन्तर्गत बिछाई गयी पाइप लाइन के पश्चात् क्षतिग्रस्त मार्गों के निर्माण कार्य

कराये जाने के सम्बन्ध में श्री आकाश वर्मा व अन्य निवासीगण जनपद सुल्तानपुर की याचिका उपस्थित की हुई मानी गई।

श्री सुरेन्द्र मैथानी, सदस्य विधान सभा की जनपद कानपुर की विधान सभा क्षेत्र गोविन्द नगर में रविदासपुरम मलिन बस्ती एवं गुजैनी गांव व कतिपय बस्तियों में पेयजल की गम्भीर समस्या के निस्तारण हेतु नई वाटर लाइन बिछवाये जाने के सम्बन्ध में श्री नीरज गुप्ता व अन्य निवासीगण जनपद कानपुर की याचिका उपस्थित की हुई मानी गई।

श्री सुरेश कुमार, सदस्य विधान सभा की जनपद सुल्तानपुर के अन्तर्गत भोलागंज सम्पर्क मार्ग से रैचा पंचायत भवन तक के सम्पर्क मार्ग का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री रमेश यादव व अन्य निवासीगण जनपद सुल्तानपुर की याचिका उपस्थित की हुई मानी गई।

श्री हाकिम लाल बिन्द, सदस्य विधान सभा की जनपद प्रयागराज के विधान सभा क्षेत्र हण्डिया के विकास खण्ड धनुपुर के अन्तर्गत बारौत बाजार से बिठौली तक जर्जर/क्षतिग्रस्त सम्पर्क मार्ग का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री गिरजा शंकर बिन्द व अन्य निवासीगण जनपद प्रयागराज की याचिका उपस्थित की हुई मानी गई।

श्रीमती अनुपमा जायसवाल, सदस्य विधान सभा की अनुपस्थिति में जनपद बहराइच के विधान सभा क्षेत्र सदर के अन्तर्गत विकास खण्ड हुजूरपुर करनैलगंज के किलोमीटर 5 से दाहिने नहर पटरी होते हुए पिपरिया महिपाल सिंह सम्पर्क मार्ग तक नाली व खड़न्जा निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री शोभाराम गौतम, निवासी जनपद बहराइच की याचिका व्यपगत हुई।

श्रीमती ऊषा मौर्या, सदस्य विधान सभा की जनपद फतेहपुर के विधान सभा क्षेत्र हुसैनगंज के अन्तर्गत मोहम्मदपुर गौती पुल से कौशाम्बी बॉर्डर टांडा भैरवा तक सम्पर्क मार्ग एवं हुसैनगंज चौराहे से असनी रोड तक सम्पर्क मार्ग के पुनर्निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री मुमताज हसन व अन्य निवासीगण जनपद फतेहपुर की याचिका उपस्थित की हुई मानी गई।

श्रीमती गीता शास्त्री (पासी), सदस्य विधान सभा की जनपद प्रयागराज के विधान सभा क्षेत्र सोरांव के अन्तर्गत ग्राम कहली सतू से तेजपुर सम्पर्क मार्ग का निर्माण कार्य कराये जाने के सम्बन्ध में श्रीमती अल्पना देवी व अन्य निवासीगण जनपद प्रयागराज की याचिका उपस्थित की हुई मानी गई।

श्रीमती पूजा, सदस्य विधान सभा की अनुपस्थिति में जनपद आजमगढ़ के विकास खण्ड मेहनगर के अन्तर्गत ग्राम सभा फिनीहिनी के पास मगई नदी पर पुल का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री मनोज यादव व अन्य निवासीगण जनपद आजमगढ़ की याचिका व्यपगत हुई।

श्रीमती पूनम संखवार, सदस्य विधान सभा की जनपद कानपुर देहात में विकास खण्ड मैथा के अन्तर्गत नया पुरवा जू0 हाई स्कूल से रामगंगा नहर तक सम्पर्क मार्ग का निर्माण

कराये जाने के सम्बन्ध में श्री पी0एस0 वर्मा व अन्य निवासीगण जनपद कानपुर देहात की याचिका उपस्थित की हुई मानी गई।

श्रीमती मंजू शिवाच, सदस्य विधान सभा की जनपद गाजियाबाद के ब्लाक रजापुर के ग्राम काजमपुर के गेट से दोसा ग्राम तक सड़क का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री सतवीर सिंह व अन्य निवासीगण जनपद गाजियाबाद की याचिका उपस्थित की हुई मानी गई।

श्रीमती विजया यादव, सदस्य विधान सभा की जनपद प्रयागराज के विधान सभा क्षेत्र प्रतापपुर-257 के ग्राम जंघई मार्ग नेदुला बाजार से बजती होते हुए नेवादा सरजू पट्टी तिराहा तक मरम्मत का कार्य कराये जाने के सम्बन्ध में श्री बलराम यादव व अन्य निवासीगण जनपद प्रयागराज की याचिका उपस्थित की हुई मानी गई।

श्रीमती सरिता भदौरिया, सदस्य विधान सभा की जनपद इटावा के विधान सभा क्षेत्र इटावा सदर के ग्राम बेला से प्राचीन बाल्मीकि जी के मंदिर तक कच्चे मार्ग का नवनिर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री जीतू भदौरिया निवासीगण जनपद इटावा की याचिका उपस्थित की हुई मानी गई।

श्रीमती सलोना कुशवाहा, सदस्य विधान सभा की जनपद शाहजहांपुर के विधान सभा क्षेत्र-133, तिलहर के नगर पंचायत निगोही में 11000 के0वी0 विद्युत लाइन का विस्थापन कराये जाने के सम्बन्ध में श्री अभिषेक कुशवाहा व अन्य निवासीगण जनपद शाहजहांपुर की याचिका उपस्थित की हुई मानी गई।

श्रीमती सैय्यदा खातून, सदस्य विधान सभा की जनपद सिद्धार्थनगर में भड़रिया डुमरियागंज मार्ग से बिथरिया घाट को जाने वाली सड़क का पुनर्निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री मलिक मोहम्मद असजल व अन्य निवासीगण जनपद सिद्धार्थनगर की याचिका उपस्थित की हुई मानी गई।

आज दिनांक 07 फरवरी को नियम-51 के अन्तर्गत कुल 94 सूचनाएं प्राप्त हुईं।

निम्नलिखित मा0 सदस्यों की सूचना वक्तव्य हेतु स्वीकृत हुई :-

- 1 श्री मनीष असीजा फिरोजाबाद के बस स्टैण्ड का जीर्णोद्धार कराये जाने के सम्बन्ध में।
- 2 श्री मनोज कुमार पाण्डेय विधान सभा क्षेत्र ऊँचाहार में आधुनिक बस स्टैण्ड स्थापित किये जाने के सम्बन्ध में।
- 3 श्री अभय सिंह पंडित जवाहर लाल नेहरू स्मारक इण्टर कॉलेज अयोध्या में हुई अनियमितताओं में दोषियों के विरुद्ध जाँच कराये जाने के सम्बन्ध में।

- 4 श्री बाबूलाल जनपद आगरा के विधान सभा क्षेत्र फतेहपुर सीकरी के ग्राम खेड़ाजाट से नगला देबिया तक सड़क निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में।
- 5 श्री राकेश प्रताप सिंह जनपद अमेठी के विकास खण्ड जामों के ग्राम पंचायत सूखी बाजगढ़ के वित्तीय वर्ष 2010 से वर्तमान तक के कार्यों में हुई अनियमितताओं हेतु विशेष जाँच दल गठित कराये जाने के सम्बन्ध में।
- 6 डॉ० रागिनी राजकीय होम्योपैथिक चिकित्सालयों में डॉक्टरों की तैनाती के सम्बन्ध में।

निम्नलिखित मा० सदस्यों की सूचना केवल वक्तव्य हेतु स्वीकृत हुई :-

- 1 श्री गौरीशंकर वर्मा (कोरी) विधान सभा क्षेत्र 221, उरई जनपद जालौन के ग्राम रिनिया बड़ा गांव एवं मडौरा होते हुये उरई जालौन मार्ग तक एक बाईपास का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में।
- 2 श्री राजेश्वर सिंह विधान सभा क्षेत्र सरोजनीनगर, लखनऊ के अन्तर्गत विकास खण्ड सरोजनीनगर के प्राथमिक विद्यालय/ उच्च प्राथमिक विद्यालय एवं कम्पोजिट विद्यालयों की बाउण्ड्रीवाल बनाये जाने के सम्बन्ध में।
- 3 श्रीमती आराधना मिश्रा 'मोना' ग्राम पंचायत मंगापुर विकास खण्ड सांगीपुर तहसील लालगंज जनपद प्रतापगढ़ में मिनी स्टेडियम का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में।
- 4 श्री देवेन्द्र कुमार निम जनपद सहारनपुर के विधान सभा क्षेत्र रामपुर मनिहारन के कतिपय प्लानिंग की जाँच कराये जाने के सम्बन्ध में।
- 5 श्री विवेकानन्द पाण्डेय जनपद कुशीनगर के खड़डा विधान सभा क्षेत्र में नव निर्मित पानी के टंकियों के निर्माण की जाँच कराये जाने के सम्बन्ध में।

निम्नलिखित मा० सदस्यों की सूचना ध्यानाकर्षण हेतु स्वीकृत हुई :-

- 1 श्री सिद्धार्थ नाथ सिंह विधान सभा क्षेत्र शहर पश्चिमी, जनपद प्रयागराज अन्तर्गत बेगम बाजार पुल का कार्य पूर्ण कराये जाने के सम्बन्ध में।

- 2 श्री अखिलेश जनपद आजमगढ़ के विधान सभा क्षेत्र मुबारकपुर के अन्तर्गत प्रा० स्वा० केन्द्र सठियांव के नवीनीकरण व सौन्दर्यीकरण कराने के सम्बन्ध में।
- 3 श्री ज्ञानेन्द्र सिंह विधान सभा क्षेत्र पनियरा, जनपद महाराजगंज अन्तर्गत लाला बड़हरा जर्दी बांकी माँ के स्थान होते हुए डोमरा बांध तक सम्पर्क मार्ग का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में।
- 4 हाजी नासिर कुरैशी विधान सभा क्षेत्र मुरादाबाद के नगर पंचायत भोजपुर में फायर स्टेशन की स्थापना किये जाने के सम्बन्ध में।
- 5 श्री राजपाल सिंह बालियान जनपद मुजफ्फरनगर के विधान सभा क्षेत्र बुढ़ाना के कतिपय रजवाहों पर पुलिया का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में।
- 6 श्री सत्यपाल सिंह राठौर जनपद एटा में सड़क मार्ग का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में।
- 7 श्री रमेश चन्द्र मिश्र विधान सभा क्षेत्र बदलापुर में कतिपय पिच रोड का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में।
- 8 श्री प्रकाश द्विवेदी विधान सभा क्षेत्र बांदा में अण्डरग्राउण्ड केबिल बिछाये जाने के सम्बन्ध में।
- 9 श्री मुकेश चौधरी जनपद सहारनपुर में पॉपुलर इण्डस्ट्री स्थापित किये जाने के सम्बन्ध में।
- 10 श्री गणेश चन्द्र विधान सभा क्षेत्र धनघटा के अन्तर्गत ग्राम मुखलिसपुर के जर्जर बस स्टैण्ड का जीर्णोद्धार कराये जाने के सम्बन्ध में।
- 11 श्री जवाहर लाल राजपूत जनपद झाँसी के बामौर ब्लॉक के खडैनी, बामौर, गड़वई, ककरवई से गरौठा की सड़क मार्ग एवं देवरी से धनौरा होते हुये ककरवई तक की जर्जर/खराब पुनर्निर्माण/मरम्त/गड्ढामुक्त कराने के सम्बन्ध में।
- 12 डॉ० सुरभी जनपद फर्रुखाबाद के अन्तर्गत कायमगंज विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत वृक्षों की अवैध कटाई एवं चोरी के सम्बन्ध में।

- 13 श्री राजीव तरारा जनपद अमरोहा में धनौरा रामलीला ग्राउण्ड का विकास कराये जाने के सम्बन्ध में।
- 14 श्री राजीव गुम्बर जनपद सहारनपुर में पार्श्व नाथ सिटी में मूलभूत सुविधायें उपलब्ध कराये जाने के सम्बन्ध में।
- 15 श्री गुलाम मोहम्मद विधान सभा क्षेत्र सिवालखास, जनपद मेरठ के मेरठ-बड़ौत रोड पर ग्राम सिधावली/लखवाया के राजस्व क्षेत्र में कालोनियों में मिट्टी भराव हेतु अवैध खनन की जाँच कराये जाने के सम्बन्ध में।
- 16 श्री लोकेन्द्र प्रताप सिंह जनपद खीरी के मोहम्मदीनगर स्थित रोडवेज बस अड्डे का नाम स्व० मन्ना लाल जी के नाम करने के सम्बन्ध में।
- 17 श्री इन्द्रजीत सरोज विधान सभा क्षेत्र मंझनपुर जनपद कौशाम्बी के विकास खण्ड-सरसवां एवं कौशाम्बी में जल निगम (ग्रामीण) द्वारा अधिष्ठापित हैण्डपम्पों की उच्च स्तरीय कमेटी द्वारा जांच कराये जाने के सम्बन्ध में।
- 18 श्री संजय कुमार शर्मा अनूपशहर विधान सभा क्षेत्र में सम्पर्क मार्ग का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में।
- 19 श्री चन्द्र प्रकाश लोधी जनपद फतेहपुर में शादीपुर रेलवे क्रासिंग में उपरिगामी सेतु का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में
- 20 श्री जय कुमार सिंह 'जैकी' जनपद फतेहपुर के कतिपय गांवों के किसानों की समस्या के दृष्टिगत वन विभाग की भूमि का सीमांकन करने के सम्बन्ध में।
- 21 श्री राम सिंह पटेल जनपद प्रतापगढ़ के विधान सभा क्षेत्र पट्टी के अन्तर्गत ग्राम रेडीगारा प्राथमिक विद्यालय रेडीगारा से पाल बस्ती तक इण्टरलॉकिंग/सी०सी० रोड का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में।
- 22 श्री पंकज कुमार मलिक जनपद मुजफ्फरनगर में अन्ना पशुओं से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।
- 23 श्री प्रभु नारायण सिंह यादव जनपद चन्दौली के विधान सभा सकलडीहा के अन्तर्गत मुगलसराय भूपौली चहनियां सम्पर्क मार्ग का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में।

- 24 श्री मो० हसन रूमी नगर निगम कानपुर को जनहित के कार्यों के लिये भूमि उपलब्ध कराये जाने के सम्बन्ध में।
- 25 श्री स्वामी ओउमवेश जनपद बिजनौर के विधान सभा चाँदपुर में बिचनौर नूरपुर मार्ग से शरीफपुर होते हुये ताहरपुर तक मार्ग को गड्ढामुक्त तथा मरम्मत कराये जाने के सम्बन्ध में।
- 26 श्री आशू मलिक जनपद सहारनपुर के ब्लॉक बलियाखेड़ी के ग्राम भलस्वा ईसापुर होते हुये हसनपुर तक जर्जर मार्ग का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में।
- 27 श्रीमती ऊषा मौर्या विधान सभा क्षेत्र हुसैनगंज फतेहपुर में थाना सुल्तानपुर घोष के अन्तर्गत बनी सड़क स्टेट हाई-वे हथगाम कड़ मार्ग का मरम्मतीकरण कराये जाने के सम्बन्ध में।
- 28 श्री राम अचल राजभर विधान सभा क्षेत्र अकबरपुर ब्लॉक अकबरपुर से हसनपुर जलालपुर खास होते हुए सिसवा सम्पर्क मार्ग का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में।
- 29 श्री तूफानी सरोज जनपद जौनपुर के थाना मीरगंज के ग्राम सभा अदारी में अवैध पाइप लाइन डाले जाने एवं मार-पिट्टाई से मृत्यु के सम्बन्ध में जाँच कराये जाने के सम्बन्ध में।
- 30 इंजी० बृजेश कटेरिया विधान सभा क्षेत्र किशनी के इटावा-वेवर मार्ग का नवीनीकरण एवं सुदृढीकरण कार्य पूरा कराये जाने के सम्बन्ध में।
- 31 श्री नन्द किशोर नगर पालिका परिषद् लोनी में हो रहे घोटाले की जाँच कराये जाने के सम्बन्ध में।
- 32 श्री वीरेन्द्र यादव विधान सभा क्षेत्र जंगीपुर में हाई वोल्टेज तार को हटवाये जाने के सम्बन्ध में।
- 33 श्री मनोज कुमार पारस विधान सभा क्षेत्र नगीना जनपद बिजनौर के ग्राम अकबराबाद, पखनपुर, हिन्दपुर में ग्राम समाज की भूमि पर मनरेगा के माध्यम से मिनी स्टेडियम बनवाने के सम्बन्ध में।

- 34 श्री रविदास मेहरोत्रा प्रयागराज के तहसील सोरोंव के ग्राम दनियापुर में खाता सं0-00167, गाटा सं-70 रकबा 0.188 हे0 बंजर भूमि पर अवैध अतिक्रमण को मुक्त कराये जाने के सम्बन्ध में।
- 35 श्रीमती मनीषा अनुरागी नगर पंचायत सरीला दीपालिका यादव, अधिशाषी अभियन्ता के द्वारा की गयी अनियमितता की जाँच कराये जाने के सम्बन्ध में।
- 36 श्री मो0 ताहिर खाँ महाराजगंज से दुल्लापुर तथा नेशनल हाई-वे सुल्तानपुर वाराणसी मार्ग से थाना बंधुआ व सगरा होते ऊधड़पुर रोड का विशेष मरम्मत एवं उच्चीकरण कराये जाने के सम्बन्ध में।

शेष सूचनाएं अस्वीकृत हुईं।

जनपद हरदोई के विधान सभा क्षेत्र-159, बिलग्राम-मल्लावां के अन्तर्गत गनीपुर के निकट लोक निर्माण विभाग के मार्ग पर टूटे पुल के सम्बन्ध में श्री आशीष कुमार सिंह 'आशू' द्वारा दिनांक 05 फरवरी, 2024 को दी गई सूचना पर, नियम-51 के अन्तर्गत लोक निर्माण मंत्री का वक्तव्य संसदीय कार्य राज्य मंत्री ने दिया जो पढ़ा हुआ माना गया।

जनपद रायबरेली के ग्राम परवनपुर, थाना महाराजगंज, रायबरेली में महिला चिकित्सालय की डा0 रेनू चौधरी द्वारा प्रसूता की डिलीवरी के ऑपरेशन में लापरवाही बरते जाने की जांच कराये जाने के सम्बन्ध में श्री मनोज कुमार पाण्डेय द्वारा दिनांक 05 फरवरी, 2024 को दी गई सूचना पर, नियम-51 के अन्तर्गत चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री का वक्तव्य संसदीय कार्य राज्य मंत्री ने दिया जो पढ़ा हुआ माना गया। मा0 सदस्य ने प्रश्न पूछ कर स्पष्टीकरण प्राप्त किया।

प्रदेश के राजकीय मेडिकल कॉलेजों राम मनोहर लोहिया आयुर्विज्ञान संस्थान/के0जी0एम0यू0 के विभिन्न भर्तियों में आरक्षण नियमों की अवहेलना से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में डॉ0 रागिनी द्वारा दिनांक 05 फरवरी, 2024 को दी गई सूचना पर, नियम-51 के अन्तर्गत चिकित्सा शिक्षा मंत्री का वक्तव्य संसदीय कार्य राज्य मंत्री के अनुरोध पर स्थगित हुआ।

बघरा के तिरपड़ी बुडीना खुर्द मार्ग मरम्मत के सम्बन्ध में श्री पंकज मलिक द्वारा दिनांक 05 फरवरी, 2024 को दी गई सूचना पर, नियम-51 के अन्तर्गत लोक निर्माण मंत्री का

वक्तव्य संसदीय कार्य राज्य मंत्री ने दिया जो पढ़ा हुआ माना गया। मा0 सदस्य ने प्रश्न पूछ कर स्पष्टीकरण प्राप्त किया।

जनपद फिरोजाबाद की तहसील जसराना के ग्राम झपारा में अधिग्रहीत भूमि पर अग्निशमन केन्द्र का निर्माण कार्य कराये जाने के सम्बन्ध में ई0 सचिन यादव द्वारा दिनांक 05 फरवरी, 2024 को दी गई सूचना पर, नियम-51 के अन्तर्गत मुख्य मंत्री का वक्तव्य संसदीय कार्य राज्य मंत्री ने दिया जो पढ़ा हुआ माना गया। मा0 सदस्य ने प्रश्न पूछ कर स्पष्टीकरण प्राप्त किया।

जनपद फिरोजाबाद में स्थित स्वशासी राजकीय चिकित्सा महाविद्यालय को पूर्ण क्षमता से संचालित कराये जाने के सम्बन्ध में श्री मनीष असीजा द्वारा दिनांक 05 फरवरी, 2024 को दी गई सूचना पर, नियम-51 के अन्तर्गत चिकित्सा शिक्षा मंत्री का वक्तव्य संसदीय कार्य राज्य मंत्री ने दिया जो पढ़ा हुआ माना गया।

विधान सभा क्षेत्र सदर, जनपद आजमगढ़ के अन्तर्गत विद्युत विभाग द्वारा मूलभूत संरचनात्मक कार्य के साथ घरेलू उपभोक्ताओं के बिजली बिल के समस्याओं के समाधान के सम्बन्ध में श्री दुर्गा प्रसाद यादव द्वारा दिनांक 05 फरवरी, 2024 को दी गई सूचना पर, नियम-51 के अन्तर्गत ऊर्जा मंत्री का वक्तव्य संसदीय कार्य राज्य मंत्री ने दिया जो पढ़ा हुआ माना गया। मा0 सदस्य ने प्रश्न पूछ कर स्पष्टीकरण प्राप्त किया।

जनपद रायबरेली की विधान सभा क्षेत्र सलोन में ब्लॉक सलोन के अन्तर्गत धरई-कमालपुर सम्पर्क मार्ग से ग्राम सभा कुटीला तक मरम्मत कराये जाने के सम्बन्ध में श्री अशोक कुमार द्वारा दिनांक 05 फरवरी, 2024 को दी गई सूचना पर, नियम-51 के अन्तर्गत ग्राम्य विकास मंत्री का केवल वक्तव्य संसदीय कार्य राज्य मंत्री ने दिया जो पढ़ा हुआ माना गया।

जनपद जौनपुर के विधान सभा क्षेत्र बदलापुर के अन्तर्गत जिला पंचायत द्वारा कतिपय सड़कों का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री रमेश चन्द्र मिश्र द्वारा दिनांक 05 फरवरी, 2024 को दी गई सूचना पर, नियम-51 के अन्तर्गत मुख्य मंत्री का केवल वक्तव्य संसदीय कार्य राज्य मंत्री ने दिया जो पढ़ा हुआ माना गया।

तदुपरान्त श्री अध्यक्ष ने सदन को सूचित किया कि मा0 सदस्यगण के लिए कल दिन में और रात्रि में भोजन तथा शाम में चाय की व्यवस्था की गयी है।

तदुपरान्त सदन का उपवेशन सायं 06 बज कर 18 मिनट पर अगले दिन के पूर्वाह्न 11:00 बजे तक के लिए स्थगित हुआ।

प्रदीप कुमार दुबे,
प्रमुख सचिव,
विधान सभा, उत्तर प्रदेश।

स्वीकृत,
सतीश महाना,
अध्यक्ष,
विधान सभा, उत्तर प्रदेश।